

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 369 सन 2018

अनवान :-

1. सुनील कुमार पुत्री मांगीलाल जाति जाट सांगठिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. पूनम पुत्र मांगीलाल जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 23.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 107/92 के खसरा न0 27 की 4312हैक् खसरा न0 337 की 11394हैक् कुल 19.5760हैक् भूमि जो पूर्व में वादी की दादी रामीदेवी पत्नि सुरजाराम जाति जाट खातेदार काश्तकार थी वादी की दादी रामीदेवी का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 पर आद हुई है। वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी की दादी रामीदेवी के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। हमने उभयपक्षों को सुना गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी की दादी रामीदेवी के नाम से दर्ज थी वादी की दादी के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है पैतृक


S. P. Singh

सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 107/92 की कुल 19.5760 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखरे रूप्ये पाच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official